# दिल्ली विकास प्राधिकरण

## (मुख्य योजना अनुभाग)

## सार्वजनिक सूचना

केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11–क (उप धारा–2) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना–2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

**संशोधनः–**

| क्र सं. | पैरा/खण्ड/तालिका | मोटल के संबंध में दि.मु.यो.–2021 में प्रस्तावित संशोधन |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | पैरा 3.2<br>शहरी विस्तार | पैरा, 'ग्रामीण भूमि पर निरंतर दबाव को ध्यान में रखते हुए नए फार्म हाउसों और मोटलों को दि.मु.यो.–2021 के अनुसार प्रस्तावित शहरी विस्तार क्षेत्र में अनुमति नही दी जाएगी' के अंत में आने वाले शब्दों के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा। "दिनांक 07.02.2007 को संस्वीकृत योजना वाले मोटल और व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थित अथवा क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर को अनुमति, तालिका 5.4 में उल्लिखित विकास नियंत्रण की शर्तों के अधीन होगी।" |
| 2 | तालिका 5.4 विकास नियंत्रण व्यावसायिक केंद्र | तालिका 5.4 में 'ड) कोई अन्य व्यावसायिक केन्द्र' के बाद 'च) मोटल के रूप में निम्नलिखित उपयोग/उपयोग परिसरों को शामिल किया जाएगा। |

| उपयोग/उपयोग परिसर | अधिकत्तम कवरेज (%) | एफ ए आर | ऊँचाई (मीटर) | पार्किंग मानक ई सी एस तल क्षेत्रफल का प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से | अन्य नियंत्रण |
|---|---|---|---|---|---|
| च) दिनांक 07.02.2007 को संस्वीकृत योजना वाले मोटलों और व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थित या क्षेत्रीय विकास योजनाओं में प्रस्तावित सुविधा कॉरिडोर | 45% | 175 ^ | | 3.0 ई सी एस तल क्षेत्रफल का प्रति 100 वर्ग मीटर (दि. मु. यो. –2021 के विकास कोड अध्याय के अनुसार) | **i.** भारत सरकार की अधिसूचना के सांविधिक आदेश 550(ड) दिनांक 16.6.1995 एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2002 को जारी किए गए मोटल दिशा निर्देशों के अनुरूप दिनांक 7.2.2007 को अथवा इससे पूर्व संस्वीकृत योजना में दर्शाए गए प्लॉट क्षेत्रफल पर अधिकत्तम 175 एफ ए आर की अनुमति होगी।<br>**ii.** मोटल के सामने कम से कम 30 मीटर मार्गाधिकार की सड़क होगी (यदि सड़क चौड़ी करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो तो मोटल क्षेत्र में से भूमि आरक्षित रखी जाए)।<br>**iii.** रिटेल और सर्विस शॉप्स को तल क्षेत्रफल का अधिकत्तम 5 प्रतिशत तक रखा जाएगा।<br>**iv.** न्यूनत्तम सेटबेकस, बेसमेंट इत्यादि से संबंधित अन्य नियंत्रण दि.मु.यो–2021 के विकास कोड अध्याय के अनुसार होंगे।<br>**v.** जल, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, नाले और इस प्रकार की अन्य आधारिक संरचनाओं की व्यवस्था मालिक द्वारा तब तक की जाएगी जब तक कि उपर्युक्त सेवाएं सेवा प्रदाता एजेंसी उपलब्ध नहीं कराती हैं।<br>**vi.** सभी मोटल, शहरी विकास मंत्रालय/भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और भवन उप–नियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए वर्षा–जल संग्रहण और ऊर्जा संरक्षण प्रावधानों का पालन करेंगे।<br>**vii.** मोटलों में अपशिष्ट निपटान की आधुनिक तकनीकों अर्थात कूड़ा–करकट को वनस्पतिक और गैर–वनस्पतिक के रूप में अलग करने वाली तकनीकें अपनानी होंगी। प्रदूषण नियंत्रण मानकों की शर्तों के अनुसार वनस्पतिक कचरा स्थानीय कम्पोस्ट–पिटों में जमा करना चाहिए, और गैर–वनस्पतिक को मोटल द्वारा संपोषित भस्मकों में भस्म कर देना चाहिए। इमारतों में दोहरी पाईप लाइन प्रणाली होगी। सीवेज के शोधन के लिए परिसर के भीतर छोटा जल–मल शोधन संयंत्र बनाया जाएगा। शोधित जल को पीने के अतिरिक्त अन्य उपयोगों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।<br>**viii.** भूमि उपयोग के लिए सभी अनुमति एवं अनापत्तियाँ, जो योजनाओं के अनुमोदन सहित प्रायः अपेक्षित हैं, निर्धारित प्राधिकारियों से प्राप्त करनी होंगी। |

^ नोटः– सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित अतिरिक्त तल क्षेत्रफल अनुपात प्रभार, परिवर्तन प्रभार, सुधार शुल्क (बैटरमेंट लेवी) बाह्य विकास प्रभार इत्यादि देय होंगे।

| | | |
|---|---|---|
| 3 | तालिका 5.5<br>परिभाषा एवं उपयोग परिसरों में अनुमत कार्यकलाप | तालिका 5.5 में सर्विस अपार्टमेंट के पश्चात निम्नलिखित उपयोग परिसर शामिल किया जाएगा। |

| उपयोग परिसर | परिभाषा | अनुमत कार्यकलाप |
|---|---|---|
| मोटल | ऐसा क्षेत्र/परिसर जिसे सड़क यात्रियों की योजना व्यवस्था रहने, आराम करने एवं मनोरंजन और संबंधित कार्यकलापों के लिए डिजाइन एवं संचालित किया जाता है। | मोटल |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | तालिका 9.4<br>उप उपयोग क्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति | तालिका 9.4 में क्रम संख्या–1 में हरित पट्टी में अनुमत कार्यकलापों में निम्नलिखित पाठ शमिल किया जाता है। |

| क्र.स. | उपयोग क्षेत्र | अनुमत कार्यकलाप |
|---|---|---|
| 1. | हरित पट्टी | वन कृषि उपयोग, वनस्पति पट्टी, डेयरी फार्म, सूअर पालन, मुर्गी पालन केन्द्र, फार्म हाउस, वन्य जीव विहार, पक्षी विहार, जैव वैविध्य पार्क, पशु चिकित्सा केन्द्र, पुलिस पोस्ट, अग्निशमन पोस्ट, स्मृतिवन, वृक्षारोपण नर्सरी, फलवाटिका, जल संग्रहण के लिए क्षेत्र, पुष्पकृषि फार्म, खेल के खुले मैदान, कृषि वानिकी, सुख–सुविधा संरचनाएं (टिप्पणी में सूची दी गई है)। मौजूदा गांव आबादी, पहले ही नियमित अनाधिकृत कॉलोनियाँ और पहले ही अनुमोदित मोटल अधिसूचना के सांविधिक आदेश 550 (ड) दिनांक 16.06.1995 एवं शहरी विकस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2002 जारी संशोधित मोटल दिशा–निर्देशों के अनुसार बने रहेंगे |

2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला दि.मु.यो.–2021 का पाठ निरीक्षण के लिए ऊपर उल्लिखित अवधि के दौरान सभी कार्य दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठा तल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002 में उपलब्ध होगा।

फाइल सं. एफ 20 (4) 83/एम पी/वॉल्यूम. II<br>
दिनांक – 11.06.2012

हस्ता./–<br>
आयुक्त एवं सचिव<br>
दिल्ली विकास प्राधिकरण

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट dda.org.in देखिए या डायल करें 39898911"